भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 6273

02 अप्रैल, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत लाभार्थी

6273. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के अंतर्गत सम्मिलित किए गए लाभार्थियों की संख्या कितनी है और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने लाभार्थियों को स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में नामांकित सदस्यों, कौशल विकास घटकों के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों, शहरी गरीबों को सूक्ष्म उद्यमों के रूप में पदोन्नत किया गया है और कितने व्यक्तियों को आश्रयहीन सहायता प्रदान की गई है;

(ख) उक्त संबंध में निर्धारित लक्ष्यों, प्राप्त उपलब्धियों और स्वीकृत, जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) स्थापित सूक्ष्म उद्यमों की संख्या कितनी है और उक्त उद्यमों की 1 से 3 वर्ष तक बने रहने की दर और लाभार्थियों में महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर समूहों की हिस्सेदारी सहित सुविधा प्रदान किए गए ऋणों (संख्या और राशि, बैंक लिंकेज बनाम ब्याज राजसहायता) के संबंध में वर्ष और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आंकड़े क्या हैं; और

(घ) शहरी गरीबों के लिए आय स्थिरता बढ़ाने के लिए बाजार संपर्कों, ई-कॉमर्स समेकन, शहरी आजीविका समूहों और प्रधानमंत्री स्वनिधि, आत्मनिर्भर भारत पहल जैसे अन्य केन्द्रीय/राज्य कार्यक्रमों के साथ तालमेल के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): पिछले पांच वर्षों के दौरान दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सूचीबद्ध सदस्यों सहित कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या का वर्ष और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है। कौशल विकास घटकों के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों का विवरण

अनुलग्नक-II में दिया गया है। सूक्ष्म उद्यमों के रूप में उन्नत शहरी गरीबों का ब्यौरा अनुलग्नक-III में दिया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आश्रय रहित सहायता प्रदान किए गए लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ख): निर्धारित किए गए लक्ष्य, हासिल की गई उपलब्धियों और स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का वर्ष वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

(ग): दिए गए ऋणों (संख्या और राशि, बैंक लिंकेज बनाम ब्याज सब्सिडी) और स्थापित सूक्ष्म-उद्यमों की संख्या के बारे में संचयी ब्यौरा क्रमशः अनुलग्नक-V और अनुलग्नक-III में दिया गया है। तथापि, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय बैंक लिंकेज बनाम ब्याज सब्सिडी, एक और तीन वर्ष के स्तर पर सूक्ष्म उद्यमों की उत्तरजीविता दर का ब्यौरे के संबंध में वर्षवार आंकडे नहीं रखता है। इसी प्रकार, लाभार्थियों में महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर समूहों के अनुपात के बारे में वर्ष और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पृथक सूचना भी नहीं रखी जाती है।

(घ): शहरी आजीविका केंद्र (सीएलसी) की स्थापना शहरी सूक्ष्म उद्यमों, विशेष रूप से महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़कर और मांग-आपूर्ति अंतराल को कम करके बाजार संबंधों को मजबूत करने के लिए की गई थी। एसएचजी उत्पादों को विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बढ़ावा दिया गया, जिसमें एसएचजी के 2,000 से अधिक उत्पाद ऑनलाइन सूचीबद्ध थे। 2024 में, भारत मंडपम में 'अर्बन स्क्वायर' कार्यक्रम में एसएचजी उत्पादों और शहरी कारीगरों को प्रदर्शित किया गया, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिला और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए आजीविका के अवसरों का विस्तार हुआ। मिशन 30.09.2024 को संपन्न हुआ।

'डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत लाभार्थी' के संबंध में 2 अप्रैल, 2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा प्रश्न संख्या 6273 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I

एसएचजी में नामांकित सदस्यों की संख्या							
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश	68917	50877	41739	75846	13036	**250415**
2	अरुणाचल प्रदेश	217	578	303	390	262	**1750**
3	असम	20331	16914	16772	34213	13468	**101698**
4	बिहार	28649	49564	54338	48319	18092	**198962**
5	छत्तीसगढ़	26195	31153	35545	26963	11174	**131030**
6	गोवा	156	525	784	665	22	**2152**
7	गुजरात	35785	60691	48440	29011	14259	**188186**
8	हरियाणा	5414	10140	13870	8628	14961	**53013**
9	हिमाचल प्रदेश	4119	2537	2379	2805	1164	**13004**
10	जम्मू और कश्मीर	1481	5010	6029	6387	3030	**21937**
11	झारखंड	15504	44059	27774	29430	13599	**130366**
12	कर्नाटक	13094	28203	86491	79252	54533	**261573**
13	केरल	29286	23521	23894	12960	6686	**96347**
14	मध्य प्रदेश	51166	116264	111342	86338	30157	**395267**
15	महाराष्ट्र	99603	120198	100160	129333	52675	**501969**
16	मणिपुर	582	5478	1420	1119	741	**9340**
17	मेघालय	660	299	646	332	151	**2088**
18	मिजोरम	445	1066	693	759	136	**3099**
19	नागालैंड	729	192	169	239	51	**1380**
20	ओडिशा	9894	16852	20627	19419	5831	**72623**
21	पंजाब	4521	8824	15079	12894	4764	**46082**
22	राजस्थान	33006	43994	30828	29781	14887	**152496**
23	सिक्किम	81	170	156	219	0	**626**
24	तमिलनाडु	229894	245584	228545	170846	73848	**948717**
25	तेलंगाना	28024	30217	35108	27487	7221	**128057**
26	त्रिपुरा	3969	6704	11524	13143	6729	**42069**
27	उत्तर प्रदेश	37451	83562	126590	129389	29222	**406214**
28	उत्तराखंड	3725	5885	5883	5426	2509	**23428**
29	पश्चिम बंगाल	68297	67368	79179	69177	15949	**299970**
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	204	326	110	10	48	**698**
31	चंडीगढ़	524	643	1251	1329	379	**4126**
32	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	0	0		0	0	**0**
33	दिल्ली	1765	2619	4736	1542	141	**10803**

34	पुडुचेरी	1310	1397	1621	1514	194	**6036**
35	लद्दाख	3	126	12	59	0	**200**
	कुल	**8,25,001**	**10,81,540**	**11,34,037**	**10,55,224**	**4,09,919**	**45,05,721**

'डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत लाभार्थी' के संबंध में 2 अप्रैल, 2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा प्रश्न संख्या 6273 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-II

कौशल विकास घटकों के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों का विवरण							
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश	727	44	97	469	1119	**2456**
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1149	306	27	**1482**
3	असम	689	4513	15120	4479	0	**24801**
4	बिहार	1226	3278	6945	1961	26	**13436**
5	छत्तीसगढ़	40	68	0	0	0	**108**
6	गोवा	546	1202	596	169	107	**2620**
7	गुजरात	13840	25375	11597	10858	2183	**63853**
8	हरियाणा	720	787	8303	4605	28	**14443**
9	हिमाचल प्रदेश	407	2163	1522	95	0	**4187**
10	जम्मू और कश्मीर	97	983	1139	197	0	**2416**
11	झारखंड	779	1160	8329	7664	162	**18094**
12	कर्नाटक	2725	7880	3679	124	6289	**20697**
13	केरल	1612	1658	4299	661	21	**8251**
14	मध्य प्रदेश	13068	12527	66212	11764	1909	**105480**
15	महाराष्ट्र	3773	2594	2405	15004	198	**23974**
16	मणिपुर	55	233	6655	3355	0	**10298**
17	मेघालय	49	734	803	238	0	**1824**
18	मिजोरम	1095	1126	616	1519	106	**4462**
19	नागालैंड	0	0	172	410	0	**582**
20	ओडिशा	0	0	0	0	0	**0**
21	पंजाब	6309	13438	23344	17739	1173	**62003**
22	राजस्थान	1369	7583	12537	18292	1196	**40977**
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	**0**
24	तमिलनाडु	0	993	22772	13417	0	**37182**
25	तेलंगाना	142	186	227	0	0	**555**
26	त्रिपुरा	109	0	30	22	0	**161**
27	उत्तर प्रदेश	5964	26513	25480	10376	284	**68617**
28	उत्तराखंड	25	259	1851	97	0	**2232**
29	पश्चिम बंगाल	409	4272	4988	907	0	**10576**
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	83	60	0	**143**
31	चंडीगढ़	99	2437	1441	951	0	**4928**
32	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	0	0		0	0	**0**

33	दिल्ली	127	579	793	86	228	**1813**
34	पुडुचेरी	0	137	1621	1422	14	**3194**
35	लद्दाख	0	0	0	0	0	**0**
	कुल	**56,001**	**1,22,722**	**2,34,805**	**1,27,247**	**15,070**	**5,55,845**

'डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत लाभार्थी' के संबंध में 2 अप्रैल, 2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा प्रश्न संख्या 6273 के भाग (क) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-III

व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या							
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश	4432	5134	8922	10136	5508	**34132**
2	अरुणाचल प्रदेश	3	2	2	0	0	**7**
3	असम	788	690	1123	1585	616	**4802**
4	बिहार	984	1217	2231	1759	761	**6952**
5	छत्तीसगढ़	4144	4698	7084	4380	3403	**23709**
6	गोवा	54	35	18	1	1	**109**
7	गुजरात	1900	3676	4891	3770	2599	**16836**
8	हरियाणा	792	852	1242	1136	1682	**5704**
9	हिमाचल प्रदेश	519	323	359	445	243	**1889**
10	जम्मू और कश्मीर	1793	1844	1578	1646	1090	**7951**
11	झारखंड	758	2027	2028	2222	1034	**8069**
12	कर्नाटक	908	1666	4011	3520	4242	**14347**
13	केरल	1564	1923	1885	2565	1885	**9822**
14	मध्य प्रदेश	2129	9666	12582	8400	4892	**37669**
15	महाराष्ट्र	6149	5187	6558	6031	3236	**27161**
16	मणिपुर	0	0	129	0	0	**129**
17	मेघालय	2	15	3	7	4	**31**
18	मिजोरम	309	79	140	106	39	**673**
19	नागालैंड	38	50	38	21	20	**167**
20	ओडिशा	5498	4988	6046	5441	2356	**24329**
21	पंजाब	645	1129	1458	1951	974	**6157**
22	राजस्थान	2120	2265	2420	3149	1486	**11440**
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	**0**
24	तमिलनाडु	49642	36387	25107	25209	23318	**159663**
25	तेलंगाना	1344	1446	1347	1210	443	**5790**
26	त्रिपुरा	406	330	480	436	153	**1805**
27	उत्तर प्रदेश	4942	7282	12394	11943	4888	**41449**
28	उत्तराखंड	1211	1127	1225	923	562	**5048**
29	पश्चिम बंगाल	1573	1874	2903	2505	1052	**9907**
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4	0	3	0	0	**7**
31	चंडीगढ़	0	68	92	99	20	**279**
32	दादरा और	0	0		0	0	**0**

	नगर हवेली, दमन और दीव						
33	दिल्ली	107	39	857	98	114	**1215**
34	पुडुचेरी	135	7	71	73	24	**310**
35	लद्दाख	4	17	0	0	1	**22**
	कुल	**94,897**	**96,043**	**1,09,227**	**1,00,767**	**66,646**	**4,67,580**

'डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत लाभार्थी' के संबंध में 2 अप्रैल, 2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा प्रश्न संख्या 6273 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-IV

डीएवाई-एनयूएलएम के तहत 01.04.2014 से 30.09.2024 तक लक्ष्य और उपलब्धि		
पैरामीटर	लक्ष्य	उपलब्धि
गठित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या	6,60,650	10,02,545
रिवॉल्विंग फंड दिए गए एसएचजी की संख्या	4,71,000	6,79,705
प्रशिक्षित कौशल अभ्यर्थियों की संख्या	26,03,400	15,42,952
रोजगार प्राप्त करने वाले कुशल उम्मीदवारों की संख्या	16,62,380	8,43,299
व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	5,33,500	9,81,899
बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत एसएचजी को संवितरित किए गए ऋणों की संख्या	3,83,500	6,42,207

डीएवाई-एनयूएलएम के तहत 2020-2023 के दौरान जारी और उपयोग की गई केंद्रीय निधि							
							(करोड़ रुपये में)
क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**	
		जारी किया	उपयोग किया	जारी किया	उपयोग किया	जारी किया	उपयोग किया
1.	आंध्र प्रदेश	58.23	58.23	60.50	60.50	37.63	33.82
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	21.92	21.92	32.91	32.91	20.16	20.16
4.	बिहार	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छतीसगढ़	0.00	0.00	14.71	14.71	0.00	0.00
6.	गोवा	3.90	3.90	3.40	3.40	0.00	0.00
7.	गुजरात	71.58	71.58	49.67	49.67	32.66	32.66
8.	हरियाणा	10.54	10.54	14.22	14.22	12.82	12.82
9.	हिमाचल प्रदेश	10.21	10.21	10.20	10.20	6.00	6.00
10.	जम्मू और कश्मीर	3.67	3.67	6.25	3.76	13.46	0.00
11.	झारखंड	16.28	16.28	18.37	18.37	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00

13.	केरल	27.90	27.90	35.38	35.38	29.23	29.23
14.	मध्य प्रदेश	55.09	55.09	63.36	63.36	100.00	100.00
15.	महाराष्ट्र	96.15	96.15	64.37	64.37	62.33	62.33
16.	मणिपुर	2.98	2.98	10.08	10.08	25.00	25.00
17.	मेघालय	3.79	3.79	0.00	0.00	1.29	1.29
18.	मिजोरम	16.17	16.17	14.98	14.98	10.00	10.00
19.	नागालैंड	6.96	6.96	4.92	4.92	1.83	1.83
20.	ओडिशा	20.07	20.07	13.43	13.43	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	19.36	19.36	68.49	68.31
22.	राजस्थान	39.31	39.31	40.53	40.53	0.00	0.00
23.	सिक्किम	1.10	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	110.65	110.65	104.67	104.67	6.00	6.00
25.	तेलंगाना	38.10	38.10	31.69	31.69	100.00	100.00
26.	त्रिपुरा	13.48	13.48	14.17	14.17	2.00	2.00
27.	उत्तर प्रदेश	65.34	65.34	62.65	62.65	0.00	0.00
28.	उत्तराखंड	6.05	6.05	2.00	2.00	8.60	8.60
29.	पश्चिम बंगाल	34.30	34.30	43.39	43.39	0.00	0.00
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	1.82	1.82	1.86	1.86	2.54	2.54
32.	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	पुडुचेरी	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	लद्दाख	0.00	0.00	2.10	0.66	0.00	0.00
	कुल	812.12	811.56	739.47	735.54	540.04	522.59

डीएवाई-एनयूएलएम के तहत 2024-2025 के दौरान जारी और उपयोग की गई केंद्रीय निधि

					(करोड़ रुपये में)
क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2023-24**		**2024-25**	
		जारी किया	उपयोग किया	जारी किया	उपयोग किया
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.47	7.45	0.00	0.00
3.	असम	16.62	16.62	0.00	0.00
4.	बिहार	10.00	9.81	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	15.00	11.05	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00

7.	गुजरात	40.79	40.79	6.25	2.75
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	1.00	1.00
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	12.00	11.94	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	26.25	24.90	0.00	0.00
13.	केरल	15.00	15.00	5.00	4.63
14.	मध्य प्रदेश	10.00	9.12	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	90.09	89.59	0.00	0.00
16.	मणिपुर	5.35	5.14	0.00	0.00
17.	मेघालय	2.80	2.54	0.00	0.00
18.	मिजोरम	3.99	3.99	0.00	0.00
19.	नागालैंड	7.38	7.38	0.00	0.00
20.	ओडिशा	8.44	8.44	0.00	0.00
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	15.00	13.42	0.00	0.00
23.	सिक्किम	1.00	1.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	85.00	85.00	0.00	0.00
25.	तेलंगाना	25.00	0.00	0.00	0.00
26.	त्रिपुरा	10.86	10.86	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	33.98	33.98	8.75	8.75
28.	उत्तराखंड	0.00	0.00	2.50	2.36
29.	पश्चिम बंगाल	45.42	45.42	5.00	0.00
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.34	0.00	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	3.55	3.55	0.50	0.50
32.	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	पुडुचेरी	5.11	5.11	0.00	0.00
35.	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**496.44**	**462.10**	**29.00**	**19.99**

'डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत लाभार्थी' के संबंध में 2 अप्रैल, 2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा प्रश्न संख्या 6273 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-V

व्यक्तिगत उद्यम				
क्र. सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम**	**एसईपी-व्यक्तिगत**	**स्वीकृत राशि (लाख में)**	**जारी की गई ब्याज सब्सिडी (लाखों में)**
1	आंध्र प्रदेश	94,540	92,218	37
2	बिहार	16,031	17,555	0
3	छत्तीसगढ़	38,304	35,017	46
4	गोवा	97	155	1
5	गुजरात	29,556	30,800	136
6	हरियाणा	8,146	9,358	36
7	हिमाचल प्रदेश	3,995	4,708	18
8	झारखंड	13,136	12,155	3
9	कर्नाटक	23,021	31,631	362
10	केरल	7,475	10,370	15
11	मध्य प्रदेश	87,917	95,683	122
12	महाराष्ट्र	49,240	55,121	453
13	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1,350	1,264	0
14	ओडिशा	20,548	20,763	19
15	पंजाब	13,629	13,569	2
16	राजस्थान	33,444	33,137	87
17	तमिलनाडु	72,994	42,584	82
18	तेलंगाना	16,506	14,409	3
19	उत्तर प्रदेश	84,113	1,09,728	326
20	उत्तराखंड	9,537	13,528	7
21	पश्चिम बंगाल	10,594	11,628	10
22	अरुणाचल प्रदेश	77	135	7
23	असम	5,557	7,045	3
24	मणिपुर	161	230	0
25	मेघालय	171	214	0

26	मिजोरम	1,973	3,380	82
27	नागालैंड	324	538	0
28	सिक्किम	39	67	0
29	त्रिपुरा	2,277	3,264	0
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9	15	0
31	चंडीगढ़	597	586	0
32	जम्मू-कश्मीर	17,696	31,196	130
33	लद्दाख	41	78	0
34	पुडुचेरी	455	364	2
35	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	0	0	0
	अखिल भारत	**6,63,550**	**7,02,493**	**1,993**

समूह उद्यम

क्र. सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम**	**एसईपी-व्यक्तिगत**	**स्वीकृत राशि (लाख में)**	**जारी की गई ब्याज सब्सिडी (लाखों में)**
1	आंध्र प्रदेश	12,821	14,317	3.29
2	बिहार	182	72	0
3	छत्तीसगढ़	13,989	5,724	1.91
4	गोवा	190	178	0
5	गुजरात	1,959	478	1.68
6	हरियाणा	947	508	2.02
7	हिमाचल प्रदेश	115	105	0.39
8	झारखंड	97	28	0
9	कर्नाटक	8,273	5,890	20.61
10	केरल	7,582	6,469	2.16
11	मध्य प्रदेश	8,994	4,125	2.29
12	महाराष्ट्र	18,805	6,241	58.31

13	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	8	2	0
14	ओडिशा	28,873	12,535	1.26
15	पंजाब	0	0	0
16	राजस्थान	1,073	411	0.04
17	तमिलनाडु	2,45,733	1,50,207	107.63
18	तेलंगाना	54	47	0
19	उत्तर प्रदेश	7,722	7,663	4.34
20	उत्तराखंड	37	24	0
21	पश्चिम बंगाल	4,996	1,537	0
22	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
23	असम	1,849	736	0.09
24	मणिपुर	0	0	0
25	मेघालय	0	0	0
26	मिजोरम	707	427	16.65
27	नागालैंड	184	50	0
28	सिक्किम	0	0	0
29	त्रिपुरा	6	4	0
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
31	चंडीगढ़	0	0	0
32	जम्मू-कश्मीर	299	406	0.65
33	लद्दाख	0	0	0
34	पुडुचेरी	199	60	0
35	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	0	0	0
	अखिल भारत	**3,65,694**	**2,18,244**	**223.35**

एसएचजी बैंक लिंकेज

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	एसएचजी बैंक लिंकेज	स्वीकृत राशि (लाख में)	जारी की गई ब्याज सब्सिडी (लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	214482	35,54,032	6,368.7
2	बिहार	16168	29,747	0.0
3	छत्तीसगढ़	11063	29,152	6.2
4	गोवा	34	180	0
5	गुजरात	11042	37,017	54.0
6	हरियाणा	1175	2,922	0.6
7	हिमाचल प्रदेश	1404	4,214	8.3
8	झारखंड	6982	13,861	0.1
9	कर्नाटक	10079	50,293	14.3
10	केरल	35501	4,75,487	1,337.1
11	मध्य प्रदेश	19073	44,673	5.6
12	महाराष्ट्र	53547	2,36,295	261.5
13	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7	9	0
14	ओडिशा	17540	76,416	0.3
15	पंजाब	278	219	0
16	राजस्थान	3781	9,411	1.5
17	तमिलनाडु	98855	12,93,656	66.8
18	तेलंगाना	91096	12,24,531	448.1
19	उत्तर प्रदेश	15253	5,167	0
20	उत्तराखंड	799	1,307	0
21	पश्चिम बंगाल	53174	1,06,247	11.3
22	अरुणाचल प्रदेश	19	111	1.6
23	असम	7519	26,592	0.2
24	मणिपुर	116	232	0
25	मेघालय	6	12	0
26	मिजोरम	271	1,006	12.0

27	नागालैंड	0	0	0
28	सिक्किम	0	0	0
29	त्रिपुरा	4753	17,102	0
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	10	0
31	चंडीगढ़	0	0	0
32	जम्मू-कश्मीर	266	351	0.6
33	लद्दाख	0	0	0
34	पुडुचेरी	965	6,528	0
35	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	0	0	0
	अखिल भारत	**675249**	**72,46,780**	**8,598.8**